मतदाता अधिकार पत्र

आपके पास निम्नलिखित अधिकार हैं

1. **यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदान करने का अधिकार।** आप मतदान करने के लिए पात्र हैं यदि आप:
   - कैलिफोर्निया में रह रहे अमरीका के निवासी हैं
   - कम-से-कम 18 वर्ष के हैं
   - वहाँ पंजीकृत हैं जहाँ आप वर्तमान में रहते हैं
   - वरतमान् में धकसी गुंडागरदी के धए राजय या संघीय जे अवधा की सजा न्हीं काट रहे है, और
   - आपको वत्षमान में किसी अदालत दारा मतदान करने केलिए मानसिक स्म्र से अक्म नहीं पाया गया हो

2. **मतदान करने का अधिकार यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं, भले ही आपका नाम सूची में नहीं है।** आप अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करेंगे। आपकी वोट को गिना जाएगा यदि चुनाव अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आप मतदान करने के लिए पात्र हैं।

3. **मतदान करने का अधिकार यदि आप मतदान समाप्त होने के समय अभी भी लाइन में हों।**

4. **गुप्त मत देने का अधिकार** किसी द्वारा आपको परेशान किए बिना या आपको यह बताए बिना कि मतदान कैसे करना है।

5. **यदि आपने कोई गलती कर दी है, तो नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार,** यदि आपने पहले ही अपने मत डाल न दिया हो। आप निम्नलिखित कर सकते है:
   मतदान स्थल में किसी चुनाव अधिकारी से नया मतपत्र देने के लिए कहना,
   अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को किसी चुनाव कार्यालय में, या अपने मतदान स्थल पर नए डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र से बदलना, या
   अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करना।

6. **अपना मतदान करने के लिए** अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति से **सहायता प्राप्त करने का अधिकार,** आपके नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के सिवाए।

7. **अपना भरा हुआ डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र** कैलिफोर्निया में **किसी भी मतदान स्थल पर छोड़ने का अधिकार।**

8. **अंग्रेज़ी के सिवाए किसी अन्य भाषा में चुनाव सामग्री प्राप्त करने का अधिकार** यदि आपके मतदान क्षेत्र में पर्याप्त व्यक्ति वह भाषा बोलते हैं।

9. **चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने** और चुनाव प्रक्रिया देखने का अधिकार। आप जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, यदि वह आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे किसी उत्तर के लिए आपको सही व्यक्ति के पास अवश्य भेजना चाहिए। यदि आप रुकावट डालते हैं, तो वह आपको उत्तर देना बंद कर सकता है।

10. **किसी अवैध या धोखाधड़ी वाली चुनाव गतिविधि** के बारे में किसी चुनाव अधिकारी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय को सूचित करने का अधिकार।

विशेष नोटिस

- प्रदर्शित काउंटी मतदाता सूचना गाइड में बताई गई तारीख़ को सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक मतदान देना संभव होगा।
- मत देने के विशेष निर्देश, जिसमें अनंतिम (प्रोविज़नल) मत पत्र डालने के बारे में जानकारी शामिल होगी, या तो किसी चुनाव कर्मी से प्राप्त किए जा सकते हैं या आपके स्थानीय चुनाव अधिकारी द्वारा आपको डाक से भेजी गई जानकारी को पढ़ कर।
- यदि आप हाल में ही पंजीकृत मतदाता बने हैं, तो संघीय कानून के अनुसार आपसे उपयुक्त पहचान या किसी दूसरे कागज़ात को दिखाने को कहा जा सकता है। लेकिन कृपया ध्यान दें कि कागज़ात यदि न भी पेश किए गए, तो भी प्रत्येक व्यक्ति के पास अनंतिम मत देने का अधिकार है।
- जब तक कि आप संघीय तथा राजकीय कानून के तहत मत देने की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा न कर लें, खुद को मत देने के लिए पात्र दर्शाना गैर-कानूनी है।
- मतदान के उपकरणों के साथ हेरा-फेरी करना गैर-कानूनी है।

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई अधिकार देने से मना किया गया है, तो कृपया सेक्रे ट्री ऑफ स्टेट की गोनपीय टोल-फी वोटर हॉटलाइन को **(800) 345-8683** पर फोन करें।

वेब पर **www.sos.ca.gov** पर

फोन द्वारा **(888) 345-2692** पर

ईमेल द्वारा **elections@sos.ca.gov** पर